20/11/22

Adl PP द्वारा अभियोजन की ओर से [illegible] किए गए। अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाह हैं। शेष सभी गवाहों पर पूर्वोक्त तलब किया जाये। गवाह सं 22 पर विस्तृत तलब किया जाये। गवाह विस्तृत चालान के बाद जब तलब किये जाने के बाद भी न आने हेतु उन्हें आ रहा है। इन: State of Bihar / Sanjay mondal DB Cr App. 201/13 में उक्त वक्तव्य के गवाह को salary रोकने के आदेश किए जाने हेतु लिखा जाये। जब तक आरोप के समय पूर्व [illegible] न्यायालय में उपस्थित होने पर salary release की जाये। पत्रावली अगले दिन 4/12/22 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
सिकराय जिला-दौसा